



कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग, भरतपुर

—:कार्यालय आदेश:—



वित्त विभाग (नियम खण्ड) की अधिसूचना सं.प.11(7) वित्त नियम 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 19 एवं वित्त (नियम) विभाग के अधिसूचना क्रमांक: F14(88) FD (Rules) 2008-1 Date 31-12-2009 एवं नियम 14 वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक: F15(1) FD/ Rules/2017 Date 30-10-2017, 09-12-2017 के अनुसार निम्नांकित कर्मचारियों के आश्वसित कैरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत उन्नतिकरण का लाभ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 8 में अंकित तिथि से निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र० सं०	शाला दर्पण क्रमांक	कर्मचारी का नाम मय पद एवं पदस्थापन स्थान	प्रथम/नियमित नियुक्ति तिथि/चयन तिथि	वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृत एसीपी प्रथम/द्वितीय/तृतीय	स्वीकृत मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृत एसीपी तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6808	श्रीमती अनुराधा व.अ. रा.उ.मा.वि. डहरा, हिण्डौन, करौली	09-11-11	एल-11	प्रथम	एल-12	09-11-20
2	7960	बाबू सिंह व.अ. रा.मा.वि. नयापुरा, बाडी, धौलपुर	19-10-11	एल-11	प्रथम	एल-12	19-10-20
3	7354	श्री अमित गेरा व.अ. रा.उ.मा.वि. सीकरी पट्टी नगर, भरतपुर	15-10-11	एल-11	प्रथम	एल-12	15-10-20
4	11667	श्री जितेन्द्र कुमार मीना व.अ. रा.उ.मा.वि. डूंगरी, सवाई माधोपुर	18-10-11	एल-11	प्रथम	एल-12	18-10-20

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें—

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में उक्त आश्वसित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत नहीं की गयी है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वसित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 07 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।
6. राज्य सेवा में पातेयवेतन पर पदोन्नत कार्मिकों की डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति एसीपी प्रभावी दिनांक से पूर्व होने की स्थिति में यह आदेश निरस्त समझे जायेंगे।
7. अनुदानित कार्मिकों को एसीपी का नगद लाभ राज्य सरकार में कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। दिनांक 30.6.2011 से पूर्व का नगद लाभ पूर्व अनुदानित संस्था से देय होगा।
8. संबंधित कार्मिक के दिनांक 1.6.2002 के बाद दो या दो से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
9. कार्मिक के विरुद्ध यदि कोई विभागीय जांच लम्बित या प्रक्रियाधीन है तो उक्त आदेश निष्प्रभावी होंगे।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

www.rajsevak.com

(रिपुसूदन)

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग, भरतपुर

क्रमांक:— सं.नि./स्कूशि/भरत/एसीपी-आदेश/2021/3256
प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
2. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक
3. रक्षित पत्रावली

दिनांक:— 06.01.2021

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग, भरतपुर

--:कार्यालय आदेश:--




वित्त विभाग (नियम खण्ड) की अधिसूचना सं.प.11(7) वित्त नियम 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 19 एवं वित्त (नियम) विभाग के अधिसूचना क्रमांक: F14(88) FD (Rules) 2008-1 Date 31-12-2009 एवं नियम 14 वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक: F15(1) FD/ Rules/2017 Date 30-10-2017, 09-12-2017 के अनुसार निम्नांकित कर्मचारियों के आश्वसित कैरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत उन्नतिकरण का लाभ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 8 में अंकित तिथि से निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र० सं०	शाला दर्पण क्रमांक	कर्मचारी का नाम मय पद एवं पदस्थापन स्थान	प्रथम/नियमित नियुक्ति तिथि/चयन तिथि	वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृत एसीपी प्रथम/द्वितीय/तृतीय	स्वीकृत मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृत एसीपी तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7713	श्रीमती सुखदा कुमारी व.अ. रामावि तरगंवा वैर, भरतपुर	13-10-11	एल-11	प्रथम	एल-12	13-10-20
2	7657	श्री मदन मोहन व.अ. रा.उ.मा.वि. सादपुरी, नगर, भरतपुर	19-10-11	एल-11	प्रथम	एल-12	19-10-20
3	10884	श्री नरेन्द्र सिंह व.अ. रा.उ.मा.वि. लुधावई, सेवर, भरतपुर	15-10-11	एल-11	प्रथम	एल-12	15-10-20
4	11342	श्री रमेश चन्द गुर्जर व.अ. रा.मा.वि. पीलुवा, टोडाभीम करौली	19-08-92	एल-12	तृतीय	एल-13	19-08-19
5	8077	श्री नरहरि मीना व.अ. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय देसूरी, पाली	17-10-11	एल-11	प्रथम	एल-12	17-10-20
6	8870	श्री रामराज बैरवा व.अ. रा.उ.मा.वि. रामपुर धाबाई, करौली	15-10-11	एल-11	प्रथम	एल-12	15-10-20

उपरोक्त कर्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-


1. पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में उक्त आश्वसित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत नहीं की गयी है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वसित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 07 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।
6. राज्य सेवा में पातेयवेतन पर पदोन्नत कर्मिकों की डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति एसीपी प्रभावी दिनांक से पूर्व होने की स्थिति में यह आदेश निरस्त समझे जायेंगे।
7. अनुदानित कर्मिकों को एसीपी का नगद लाभ राज्य सरकार में कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। दिनांक 30.6.2011 से पूर्व का नगद लाभ पूर्व अनुदानित संस्था से देय होगा।
8. संबंधित कर्मिक के दिनांक 1.6.2002 के बाद दो या दो से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
9. कर्मिक के विरुद्ध यदि कोई विभागीय जांच लम्बित या प्रक्रियाधीन है तो उक्त आदेश निष्प्रभावी होंगे।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कर्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।


(रिपुसूदन)
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिनांक:- 06.01.2021

- क्रमांक:- सं.नि./स्कूशि/भरत/एसीपी-आदेश/2021/3255
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
 2. संबंधित संस्थाप्रधान/कर्मिक
 3. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर